# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 35 / 2018 / बाड़मेर

| अपीलांट | | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| 1. मोडाराम पुत्र हेराजराम<br>2. राऊराम पुत्र हेराजराम<br>जातियान जाट निवासीयान<br>लेगो की ढाणी (कगाऊ)<br>तहसील व जिला बाड़मेर | बनाम | 1.नगाराम पुत्र भुराराम जाति जाट<br>निवासी लेगो की ढाणी (कगाऊ)<br>तहसील व जिला –बाड़मेर।<br>2.श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर। |

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर के मुकदमा संख्या 165 / 2017 बअनवान नगाराम बनाम मोडाराम में निर्णय दिनांक 13.06.2018 ।

उपस्थित

1. वकील श्री राऊराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बी.एल.पूनिया रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः– 05.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नगाराम ने खेत खसरा संख्या 567 / 36 जो अपीलांटगण के खातेदारी में से रास्ता मांगा है कि उक्त खसरा नम्बर में कोई पगडन्डी, रास्ता नहीं चल रहा है तथा न ही कभी नगाराम के उपयोग उपभोग में आया हुआ है। अपीलांटगण के पड़ोसी खातेदार डालूराम को रास्ता के आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि इनका खेत पास पास है। मौका रिपोर्ट से भलीभांति सुरूपष्ट है कि रास्ता डालूराम व मोडाराम के बीच में काटना था सुनवाई के जल्दबाजी में रास्ता मोडाराम के खेत में से स्वीकृत करा दिया है तथा अपीलांट के बीचों बीच रास्ता काट दिया है जिससे अपीलांट को बड़ी भारी क्षति होती है। रास्ता वास्तव में डालूराम व अपीलांट के बीच में सेढे–सेढे पर निकालना था जो ज्यादा न्यायोचित व हकीकत था। अपीलांटगण का अहित करने व जमीन के दो टुकड़े करने की बदनियति से मनमाने ढंग से रास्ता स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय ने बड़ी कानूनी भूल की है। अपीलांटगण के खेत में पूर्व में एक रास्ता निकल रहा है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी भविष्य में नहीं हो सकती है। एक गरीब काश्तकार को जानबुझकर नुकशान पहुचाया है जो विधि विरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मौका रिपोर्ट भी एकपक्षीय अपीलांट को जानकारी दिये बिना ही तैयार की है तथा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया है।रेस्पोडेंट नगाराम ने खेत खसरा संख्या 567/36 जो अपीलांटगण के खातेदारी में से रास्ता मांगा है कि उक्त खसरा नम्बर में कोई पगडन्डी, रास्ता नहीं चल रहा है तथा न ही कभी नगाराम के उपयोग उपभोग में आया हुआ है। अपीलांटगण के पड़ोसी खातेदार डालूराम को रास्ता के आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि इनका खेत पास पास है। मौका रिपोर्ट से भलीभांति सुरूपष्ट है कि रास्ता डालूराम व मोडाराम के बीच में काटना था सुनवाई के जल्दबाजी में रास्ता मोडाराम के खेत में से स्वीकृत करा दिया है तथा अपीलांट के बीचों बीच रास्ता काट दिया है जिससे अपीलांट को बड़ी भारी क्षति होती है। रास्ता वास्तव में डालूराम व अपीलांट के बीच में सेढे–सेढे पर निकालना था जो ज्यादा न्यायोचित व हकीकत था। अपीलांटगण का अहित करने व जमीन के दो टुकड़े करने की बदनियति से मनमाने ढंग से रास्ता स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय ने बड़ी कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर व मौके की वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांटगण का पूर्व से ईरादा उतरदाता को रास्ता न देने की नियत होने के कारण पहले रास्ते पर कमरे का निर्माण करवाकर रास्ता बंद करवा दिया, अपीलांटगण ने आधे अधूरे पक्षकार बनाकार मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर उतरदाता को परेशान करने की नियत से अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 567/36 ग्राम लेगों की ढाणी, कगाऊ में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.04.2018 को आधार मानकर निर्णय दिया है उस मौका जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि "इस रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को अपने खेत में आने–जाने हेतु कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग नहीं है। मौका रिपोर्ट में इस तथ्य का भी स्पष्ट उल्लेख है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि में से ही कगाऊ से लेगों की ढाणी जाने वाली डामर सड़क(जिसे काले रंग से दर्शाया गया है) से नगाराम (रेस्पोडेंट संख्या 01) की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 343 बरंग हरा तक पूर्व में खसरा संख्या 567/360 (अपीलांट की खातेदारी भूमि बरंग पीला) में से खसरा संख्या 438 (पड़ौसी काश्तकार) की सीमा से लगता हुआ रास्ता चलता था जिसमें नगाराम का आना जाना होता था परन्तु पिछले 1 वर्ष से यह रास्ता मोडाराम(अपीलांट) व राऊराम द्वारा बंद कर उस रास्ते की भूमि पर कमरा का निर्माण करवा दिया है।"

रास्ते में अवरोध पैदा करने की बदनीयतिपूर्ण कार्यवाही अपीलांट मोडाराम द्वारा की गई प्रतिवेदित है। फिर भी उसके उस **निर्मित कमरे को सुरक्षित रखते हुए उसके समान्तर बरंग लाल से इंगित न्यूनतम लम्बाई का रास्ता दिया गया है वह सर्वोतम है और विधि की मंशा के अनुरूप है।** रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को इस रास्ते की अत्यधिक एवं अपरिहार्य आवश्यकता है। उस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते के लिए महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर निर्धारण करना वांछित है:–

**प्रथम** रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता हो, **द्वितीय** वैकल्पिक रास्ता न हो। इस रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता एवं सर्वोतम विकल्प रूप में चयनित भूमि को रास्ते हेतु उपयुक्त मानकर कटान किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा बमुकदमा संख्या 165/2017 बअनवान नगाराम बनाम मोडाराम में पारित **अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2018 को यथावत रखा जाता है।**

(नखतदान चारहेठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner